



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 440 राँची, मंगलवार,

23 सितम्बर, 2025 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

28 अगस्त, 2025

पत्रांक संख्या-16/नि०-01/2025-3433-

विषय:- झारखण्ड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली, 2025 गठन के उपरांत पुलिस के पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने, भविष्य के नियुक्ति में पूर्व के आवेदकों को शुल्क भुगतान की छूट, सभी कोटि के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट एवं अन्य बिन्दुओं पर निर्णय के संबंध में।

झारखण्ड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली-2025 के गठन के उपरांत आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन संख्या-17/2023 को रद्द करने एवं अध्याचना वापस लिये जाने, भविष्य के नियुक्ति में पूर्व के आवेदकों को शुल्क भुगतान की छूट, सभी कोटि के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट इत्यादि बिन्दुओं पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्न निर्णय लिये गये हैं:-

(i) झारखण्ड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली-2025 के नई नियमावली के तहत भर्ती प्रक्रिया के आयोजन हेतु झारखण्ड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2023 हेतु पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन संख्या-17/2023 को रद्द कर अध्याचना को वापस लिया जाता है। इसके पश्चात् ही संयुक्त भर्ती नियमावली के तहत नई नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

(ii) जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में झारखण्ड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2023 हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान किया है, उन्हें भविष्य में होनेवाली प्रथम संयुक्त भर्ती परीक्षा में कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। इसके लिए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आवेदन भरने की प्रक्रिया में अपने स्तर से इसका विकल्प दिया जायेगा।

(iii) भविष्य में होनेवाली प्रथम संयुक्त भर्ती परीक्षा में सभी कोटि के आवेदकों को निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट दी जायेगी, जिसके लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना की संदर्भ तिथि झारखण्ड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2023 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-17/2023 के तहत दी गयी संदर्भ तिथि अर्थात् 01.08.2019 होगा।

यह सुविधा मात्र प्रथम संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिये अनुमान्य होगा, इसके पश्चात् यह सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

2. संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

3. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-24.07.2025 की बैठक के मद संख्या-08 में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।
